–अठारह–

संख्या :क0नि0–5–7036/11–2001–312(225)/2001

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त जिला कलेक्टर/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
(2) समस्त अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व), उत्तर–प्रदेश,
(3) उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प उत्तर–प्रदेश।

कर एवं निबन्धन विभाग : लखनऊः दिनांकः 22/11/2001

विषयः– स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निस्तारण के सम्बन्ध में तथा लम्बित स्टाम्प वादों के निस्तारण में गति लाने हेतु जनपद स्तर पर जो अधिकारी स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत बहैसियत कलेक्टर स्टाम्प वादों की सुनवायी कर रहे हैं, उनके स्तर पर वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो और पक्षकारों को बार–बार उपस्थित न होना पड़े इस उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैं जिनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये ताकि वाद दर्ज होने की तिथि से 6 माह के अन्दर वादों का निस्तारण हो सके।

1. स्टाम्प वादों के सम्बन्ध में पक्षकारों को नोटिस आदि तामील कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रस्तर–9 में पर्याप्त निर्देश दिये गये हैं। फिर भी यदि नोटिस तामील नहीं होती है या सम्बन्धित पक्षकार उल्लिखित पते पर उपलब्ध नहीं पाया जाता अथवा पता गलत होने की दशा में बार–बार नोटिस भेजे जाने पर नोटिस वापस आ जाती है तो ऐसी दशा में स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से इस आशय की सूचना प्रकाशित की जा सकती है कि अन्तिम सुनवायी हेतु अमुक तिथि पर यदि पक्षकार उपस्थित नहीं होता तो निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारित कर दिया जायेगा। कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि परम्परागत तरीके से पक्षकारों को नोटिसों की तामील में अत्यन्त विलम्ब होता है अथवा नोटिस पक्षकारों को तामील नहीं हो पाती। अतः टेस्ट केस के रूप में पीठासीन अधिकारी परम्परागत प्रक्रिया के अतिरिक्त पक्षकारों को पोस्टकार्ड द्वारा भी नोटिसें भेज सकते हैं। यदि प्रयोग सफल रहता है तो इसे भविष्य में जारी रखा जा सकता है। आवश्यकतानुसार पक्षकारों को पंजीकृत डाक से भी नोटिसें भेजी जायें। शासन यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि समय से नोटिस भेजने अथवा तामील कराने में यदि कोई लापरवाही परिलक्षित होती है तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे।

2. जो स्टाम्प वाद एक वर्ष से अधिक पुराने हों उन्हें निस्तारण हेतु जनपद में कार्यरत उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त को स्थानान्तरित कर दिये जायें जिनका यह दायित्व होगा कि अधिकतम तीन माह में वे उन स्टाम्प वादों का निस्तारण स्थल निरीक्षण के उपरान्त सुनिश्चत करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उप/सहायक आयुक्त का मुख्य कार्य स्टाम्प वादों का निस्तारण करना है। साथ ही उनके पास इस कार्य हेतु पर्याप्त समय भी उपलब्ध रहता है अतः उनके स्तर पर निस्तारण में तेजी आयेगी।

3. अधिकतर स्टाम्प वादों का सृजन उप निबन्धक कार्यालयों से प्राप्त सन्दर्भण, जो जिला निबन्धक के माध्यम से प्राप्त होते हैं, के आधार पर होता है। अतः यह आवश्यक है कि जिला निबन्धक सन्दर्भण प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर जिला कलक्टर को स्टाम्प वाद दर्ज कराने हेतु उनके कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। जिला–निबन्धक कार्यालय से प्राप्त सन्दर्भ या स्वप्रेरणा ;नव उवजनद्ध या अन्य प्रकार प्राप्त सन्दर्भ के आधार पर स्थापित स्टाम्प वादों का बिना कोई विलम्ब के केन्द्रीय मिसलबन्द रजिस्टर में दर्ज किया जाये। केन्द्रीय मिसिलबन्द रजिस्टर में मुकदमों को दर्ज करने का शासनादेश पूर्व में भी निर्गत किया जा चुका है जिसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। ऐसे मामलों में वास्तविक रूप से नोटिस जारी होकर उनका तामील कराया जाना अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) का प्रमुख दायित्व होगा।

4– स्टाम्प वादों का स्थानान्तरण उन्हीं अधिकारियों को किया जाये जिनके द्वारा निस्तारण में विलम्ब की सम्भावना न हो। प्रायः जनपद में ऐसे अधिकारियों को स्टाम्प वाद स्थानान्तरित किये गये हैं जिनके द्वारा वर्ष में किया गया निस्तारण नगण्य रहा है। इस प्रकार इस प्रकृति के कारण स्टाम्प वादों के स्थानान्तरण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि जिला कलेक्टर स्टाम्प वादों के स्थानान्तरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि किन–किन अधिकारियों को स्टाम्प वाद स्थानान्तरित किया जाना है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वादों के स्थानान्तरण के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हीं वादों को स्थानान्तरित किया जाये जिसमें नोटिसों की तामील हो गयी हो। वाद के स्थानान्तरण की सूचना तथा नियत दिनाँक सम्बन्धित पक्षकार को दिये जाने के बाद ही स्टाम्प वाद की पत्रावली का स्थानान्तरण किया जाये।

5– शासन ने भी अभी हाल ही में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के लिए एक माह में न्यूनतम 25 स्टाम्प वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प को एक माह में न्यूनतम 100 स्टाम्प वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एस0डी0एम0/एस0डी0ओ0 के लिए एक माह में न्यूनतम 25 स्टाम्पवादों के निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

6– स्टाम्पवादों के निस्तारण के पश्चात् उसमें आरोपित धनराशि की वसूली शीघ्र कराने का प्रयास करें क्योंकि आर0सी0 जारी होने के पश्चात् तहसील स्तर पर लम्बित रह जाती है और वसूली में अनावश्यक विलम्ब होता है। आरोपित धनराशि की वसूली का प्रमुख दायित्व जिले के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) का होगा।

7– आरोपित धनराशि की वसूली के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी का यह विधिक दायित्व होगा कि विलेख पर आवश्यक प्रमाण पत्र अंकित कर अविलम्ब जिला निबन्धक कार्यालय/प्रेषक अधिकारी को उपलब्ध करा दें, और उप निबन्धक आवश्यक प्रविष्टि आदि पूर्ण कर तीन दिन में वापसी हेतु तैयार कर पक्षकारों को सूचित कर दें।

8– स्टाम्प न्यायालय से वाद के निस्तारण के उपरान्त मूल प्रलेख/प्रलेख की प्रतिलिपि आवश्यक प्रमाण पत्र एवं निर्णय की प्रतिलिपि के साथ परीक्षण करने पर उपनिबन्धक यदि यह पाता है कि कलेक्टर स्टाम्प का निर्णय विधिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है अथवा उपनिबन्धक द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिये गये कारणों एवं साक्ष्यों का परीक्षण निर्णय में नहीं दिया गया है तो वह अपने उन कारणों, आधारों का वर्णन करते हुए उक्त वाद में निर्णय के विरुद्ध निगरानी दायर करने हेतु उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धक को पत्र, साक्ष्य की प्रति सहित भेजेंगे। इस पत्र की एक प्रति साक्ष्य सहित आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9– प्रत्येक मास जिन अधिकारियों को स्टाम्प वाद स्थानान्तरित हुए हैं वे अपने–अपने निस्तारण एवं वसूली की स्थिति पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध करायें ताकि प्रत्येक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को स्टाम्प वाद के निस्तारण एवं वसूली की स्थिति स्पष्ट ज्ञात हो सके और मासिक संकलित विवरण समय से प्रस्तुत किया जा सके।

10– यदि कोई पक्षकार किसी कारणवश अपने स्टाम्प वाद का स्थानान्तरण किसी विशेष न्यायालय से कराना चाहता है तो वह इस आशय का प्रार्थना पत्र सीधे जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो वादकारों का पक्ष सुनने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर वाद स्थानान्तरण के निर्देश पारित करेंगे। कोई पीठासीन अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दूसरे न्यायालय में स्टाम्प वाद अपने न्यायालय में नहीं मंगा सकता न ही भेज सकता है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये यदि किसी स्तर पर शिथिलता ायी जायेगी तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(टी. जार्ज जोसेफ),
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–7036/11–2001–312(225)/2001, तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– स्टाम्प आयुक्त, उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(चन्द्र प्रकाश),
विशेष सचिव।